



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक - 01.01.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा
पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई,
फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के लिए निर्देश।

आज दिनांक- 01.01.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक - 01.01.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु विशेष अभियान के अंतर्गत जनपदीय मिशन शक्ति पुलिस टीम द्वारा थानाक्षेत्र में भ्रमण कर बालिकाओं एवं महिलाओं को उनके अधिकारों के विषय में किया गया जागरूक-

शासन की मंशा के अनुरूप महिलाओं एवं बालिकाओं को स्वावलंबी, सशक्त बनाने और सुरक्षित माहौल प्रदान करने तथा उनके अधिकारों के सम्बंध में उनको जागरूक करने व उनके साथ घटित होने वाले अपराधों पर प्रभावी रोकथाम तथा उनमें सुरक्षा/आत्मविश्वास की भावना जागृत करने के उद्देश्य से समग्र अभियान "मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान" चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक- 01.01.2025 को नारी सुरक्षा/नारी सम्मान/नारी स्वावलंबन के प्रति जनपद के समस्त थानों की शक्ति दीदी/महिला बीट आरक्षियों/एण्टीरोमियों टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत स्कूल/कालेज/बीट/गांव आदि में जाकर मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत जागरूकता कार्यशाला एवं चौपाल लगाकर बालिकाओं एवं महिलाओं की शिकायतों एवं समस्याओं की सुनवाई की गयी तथा "मिशन शक्ति फेज-05" के सम्बन्ध में सभी बालिकाओं/महिलाओं को जागरूक किया गया, उनकी समस्याओं को सुनते हुए उन्हें मनचलों, अराजक तत्वों से निपटने तथा आत्मरक्षा करने के लिए आवश्यक आत्मरक्षात्मक गुण सिखाये गये इसके साथ ही उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस एव शासन द्वारा बालिकाओं/महिलाओं की सुरक्षा एवं सहायता हेतु संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों जैसे- 1090-वुमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा, साइबर हेल्पलाइन 1930 तथा थानों पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण से संबंधित उ0प्र0 शासन की विभिन्न योजनाओं व प्राथमिकताओं के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित कर जागरूक किया गया।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक - 01.01.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना पनवाड़ी की पुलिस टीम ने चोरी की एक मोटरसाइकिल व अवैध शस्त्र/कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

आगामी महाकुम्भ-2025 के दृष्टिगत जनपद प्रयागराज में होने वाले महाकुम्भ मेले के आयोजन को सकुशल सम्पन्न कराने एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज, जोन प्रयागराज द्वारा दिनांक 25.12.2024 से चलाये जा रहे विभिन्न चेकिंग अभियानों के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक महोबा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध शस्त्र के निर्माण पर प्रभावी रोकथाम अभियान के क्रम में आज दिनांक 01.01.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना पनवाड़ी श्री गुलाब त्रिपाठी द्वारा गठित की गई उ0नि0 रामकिशन मय हमराह का0 मिथुन कुमार व का0 रवि कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त पिन्टू राजपूत उर्फ अनिल पुत्र गुलाब राजपूत उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम रिवाई थाना महोबकण्ठ जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज एवं 01 अदद मोटर साइकिल बिना नम्बर होंडा लिवो रंग लाल बरामद करते हुए ग्राम छतेसर के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 01/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 317(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

पिन्टू राजपूत उर्फ अनिल पुत्र गुलाब राजपूत उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम रिवाई थाना महोबकण्ठ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 रामकिशन
2. का0 मिथुन कुमार
3. का0 रवि कुमार

बरामदगी-

1. अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज व 01 अदद मोटर साइकिल बिना नम्बर के होण्डा लिवो रंग लाल की बरामद होना।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक - 01.01.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना चरखारी की पुलिस टीम ने अवैध शस्त्र/कारतूस के साथ

01 नफर हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

आगामी महाकुम्भ-2025 के दृष्टिगत जनपद प्रयागराज में होने वाले महाकुम्भ मेले के आयोजन को सकुशल सम्पन्न कराने एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज, जोन प्रयागराज द्वारा दिनांक 25.12.2024 से चलाये जा रहे विभिन्न चेकिंग अभियानों के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक महोबा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध शस्त्र के निर्माण पर प्रभावी रोकथाम अभियान के क्रम में आज दिनांक 01.01.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 भगवानदीन मय हमराह हे0कां0 श्याम सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 नफर हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त बालिस्टर उर्फ निर्भय सिंह पुत्र शत्रुघन सिंह उम्र लगभग 46 वर्ष निवासी ग्राम बम्हौरीकलां थाना चरखारी जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुए नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 01/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

बालिस्टर उर्फ निर्भय सिंह पुत्र शत्रुघन सिंह उम्र लगभग 46 वर्ष निवासी ग्राम बम्हौरीकलां थाना चरखारी जनपद महोबा

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु.अ.सं. 46/92 धारा 323/452/387 भा0द0वि0 थाना चरखारी
2. मु.अ.सं. 24/97 धारा 323/504/506/324 भा0द0वि0 व SC/ST Act भा0द0वि0 चरखारी
3. मु.अ.सं. 184/97 धारा 307 भा0द0वि0 थाना चरखारी जनपद महोबा ।
4. मु.अ.सं. 91/2000 धारा 08/20 NDPS Act थाना चरखारी जनपद महोबा ।
5. मु.अ.सं. 101/01 धारा 323/326/504/506 भा0द0वि0 थाना चरखारी
6. मु.अ.सं. 147/05 धारा 307 भा0द0वि0 थाना चरखारी जनपद महोबा ।
7. मु.अ.सं. 156/05 धारा 307 भा0द0वि0 थाना चरखारी जनपद महोबा ।
8. मु.अ.सं. 219/05 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना चरखारी जनपद महोबा ।
9. मु.अ.सं. 947/14 धारा 354/452/323/504/506 भा0द0वि0 थाना चरखारी
10. मु.अ.सं. 314/18 धारा 354/452/323/504/506 भा0द0वि0 थाना चरखारी
11. मु.अ.सं. 165/21 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 व SC/ST Act थाना चरखारी
12. मु.अ.सं. 964/14 धारा 3/25 A Act थाना चरखारी जनपद महोबा ।
13. मु.अ.सं. 28/18 धारा 3/25 A Act थाना चरखारी
14. मु.अ.सं. 01/25 धारा 3/25 A Act थाना चरखारी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री भगवानदीन
2. हे0कां0 श्याम सिंह





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक - 01.01.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना अजनर की पुलिस टीम ने अवैध शस्त्र/कारतूस के साथ

01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

आगामी महाकुम्भ-2025 के दृष्टिगत जनपद प्रयागराज में होने वाले महाकुम्भ मेले के आयोजन को सकुशल सम्पन्न कराने एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज, जोन प्रयागराज द्वारा दिनांक 25.12.2024 से चलाये जा रहे विभिन्न चेकिंग अभियानों के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक महोबा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध शस्त्र के निर्माण पर प्रभावी रोकथाम अभियान के क्रम में आज दिनांक 01.01.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना अजनर श्री मनीष कुमार पाण्डेय द्वारा गठित की गई उ0नि0 राधामोहन त्रिवेदी, उ0नि0 हरीशंकर यादव मय हमराह का0 प्रताप विक्रम व का0 भरत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त प्रीतम राजपूत पुत्र स्व0 जानकी राजपूत उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम सगुनियामाफ थाना अजनर जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद नाजायज तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुए ग्राम सगुनियामाफ के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 01/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

प्रीतम राजपूत पुत्र स्व0 जानकी राजपूत उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम सगुनियामाफ थाना अजनर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 राधामोहन त्रिवेदी
2. उ0नि0 हरीशंकर यादव
3. का0 प्रताप विक्रम
4. का0 भरत सिंह

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 17/2024 धारा 302/201 भादवि0 थाना अजनर जनपद महोबा ।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक - 01.01.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



पुलिस टीम पर फायर करने वाले 04 नफर अभियुक्तों को थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमचा/ कारतूस बरामद।

आगामी महाकुम्भ-2025 के दृष्टिगत जनपद प्रयागराज में होने वाले महाकुम्भ मेले के आयोजन को सकुशल सम्पन्न कराने एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज, जोन प्रयागराज द्वारा दिनांक 25.12.2024 से चलाये जा रहे विभिन्न चेकिंग अभियानों के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक महोबा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध शस्त्र के निर्माण पर प्रभावी रोकथाम अभियान के क्रम में आज दिनांक 01.01.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कुलपहाड़ श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा कस्बा कुलपहाड़ मे वाघ विराजन तिराहा पर नव वर्ष के अन्तर्गत शांति व्यवस्था ड्यूटी, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वस्तु वाहन के दौरान मुखबिर खास ने सूचना दिया कि लाड़पुर से कमालपुरा जाने वाली सड़क पर कस्बा से थोड़ा आगे निकलकर एक बड़े पेड़ के पास कुछ संदिग्ध व्यक्ति खड़े हैं जो किसी बड़ी घटना को अन्जाम देने की फिराक में हैं। इस सूचना पर जैसे ही पुलिस की गाडी रवाना होकर उनके नजदीक पहुँचकर रुकने का इशारा किया। अचानक पुलिस को अपने पास देख चारों संदिग्ध व्यक्ति गाली देते हुए कहा कि मारों सालों को नहीं तो पकड़ लेंगे और पुलिस वालों पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा सिखलाये हुए तरीके से अपने आपको बचाते हुए एकबारगी दबिश देकर मौके पर ही 04 अभियुक्तगणों क्रमशः 1. करन सिंह राजपूत पुत्र बालेन्द्र राजपूत उम्र करीब 24 वर्ष 2. राजाबाबू राजपूत पुत्र रामसनेही उम्र 20 वर्ष 3. आनंद राजपूत उर्फ आशिक पुत्र चन्द्रपाल उम्र 19 वर्ष 4. विकास राजपूत पुत्र बालेन्द्र उम्र 20 वर्ष को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों क्रमशः करन सिंह उपरोक्त की जामा तलाशी से 01 अदद तमचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस तथा 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर एवं 210 रुपये व 01 अदद मोवाइल एण्ड्रायड रियल मी बरामद हुआ 2. अभियुक्त आनन्द के कब्जे से 01 अदद तमचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा 330 रुपये व 01 अदद मोवाइल vivo रंग

नीला बरामद 3. अभियुक्त राजाबाबू उपरोक्त के कब्जे से 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, 100 रुपये व 01 अदद मोवाइल vivo v25 बरामद हुआ तथा 4. अभियुक्त विकास उपरोक्त के कब्जे से 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 13000 रुपये व 01 प्लास्टिक की डिब्बी में इयरबड नीले रंग के व 01 सफेद धातु की चैन में माँ दुर्गा का लाकेट व 01 अदद मोवाइल रीयल मी NARZO तथा 01 मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस रंग चेचिस न0 MBALHAW228RHE75429 बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 01/2025 धारा 352/3(5)/109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. करन सिंह राजपूत पुत्र बालेन्द्र राजपूत उम्र करीब 24 वर्ष नि0 ग्राम कुनाटा थाना महोबकण्ठ जनपद महोबा
2. राजाबाबू राजपूत पुत्र रामसनेही उम्र 20 वर्ष नि0 ग्राम कुनाटा थाना महोबकण्ठ जनपद महोबा
3. आनंद राजपूत उर्फ आशिक पुत्र चन्द्रपाल उम्र 19 वर्ष नि0 ग्राम करहरा कला थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा
4. विकास राजपूत पुत्र बालेन्द्र उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम कुनाटा थाना महोबकण्ठ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. SHO श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह
2. उ0नि0 दिनेश तिवारी,
3. उ0नि0 दिनेश सिंह
4. का0 दिनेश सिंह सेंगर
5. का0 मनोज कुमार
6. का0 अजय कुमार





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक - 01.01.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना खरेला की पुलिस टीम ने अवैध शस्त्र/कारतूस के साथ

01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

आगामी महाकुम्भ-2025 के दृष्टिगत जनपद प्रयागराज में होने वाले महाकुम्भ मेले के आयोजन को सकुशल सम्पन्न कराने एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज, जोन प्रयागराज द्वारा दिनांक 25.12.2024 से चलाये जा रहे विभिन्न चेकिंग अभियानों के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक महोबा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध शस्त्र के निर्माण पर प्रभावी रोकथाम अभियान के क्रम में आज दिनांक 01.01.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा गठित की गई उ0नि0 सुरेश कुमार यादव मय हमराह का0 महेश प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त शालू सिंह पुत्र मनोज सिंह उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम बरांय थाना खरेला जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुए ग्राम पुन्नियां के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 01/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट अभियोग पंजीकृत कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

शालू सिंह पुत्र मनोज सिंह उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम बरांय थाना खरेला जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सुरेश कुमार यादव
2. का0 महेश प्रसाद





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक - 01.01.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक - 01.01.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

